अनुदान संख्या 45 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 45–MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	310,50,00		310,53,00	249,63,22	–60,89,78
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					61,25,44
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			40,00,00	38,00,00	–2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (6125.44 लाख रु.) 6089.78 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.6125.44 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.6089.78 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	3592.00	5428.99	5466.78	+37.79
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1835.99			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2405" मछली पालन	Major Head "2405" Fisheries					
मू.	O.	13480.00		7143.78	7143.78	. .
पु.	R.	–6336.22				
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing					
मू.	O.	10643.00				
		1.00		12203.79	12202.66	–1.13
पु.	R.	1559.79				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	3200.00				
पू.	S.	1.00		1.00	. .	–1.00
पु.	R.	-3200.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	90.00		150.00	150.00	. .
पु.	R.	60.00				

(I) 4116.00 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3791.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.4116.00 lakhs remained wholly unutilized under sixteen heads; of these Rs.3791.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - पटरी पर बिकने वाले भोजन की गुणवत्ता के उन्नयन की स्कीम" - 790.00 लाख रु. आर्थिक

(A) Major Head "2408" – "Food – Food Processing - Horticulture based Industries – Scheme for upgradation of quality of Street Food" – Rs.790.00 lakhs - due to non-receipt of

मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्कीम को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"

(क) "अन्य व्यय - संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" - 500.00 लाख रु.;

(ख) "मछली पालन - समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" - 1500.00 लाख रु.;

(ग) "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण" -

(i) "बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम" - 601.00 लाख रु. (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे; और

(ii) "दुग्ध आधारित उद्योग - गुणवत्ता आश्वासन, कूट मानक अनुसंधान और विकास तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीम" - 400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय" के अंतर्गत 157.72 लाख रु. की बचत (1397.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" - 6336.22 लाख रु. की बचत (13480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षित शर्तों को पूरा न किए जाने की वजह से अधिकांश अनुदानग्राही संस्थाओं से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

approval of the scheme from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Other Expenditure – Strengthening of Institutions" – Rs.500.00 lakhs;

(b) "Fisheries – Marine Fisheries – Deep Sea Fishing Operations" – Rs.1500.00 lakhs;

(c) "Food – Food Processing" –

(i) "Horticulture Based Industries - Scheme for Technology Upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" – Rs.601.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010); and

(ii) "Milk Based Industries - Scheme for Quality Assurance, Codex Standards, Research and Development and other Promotional Activities" – Rs.400.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Ministry of Food Processing Industries" – saving of Rs.157.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1397.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) Under Major Head "2405" – "Marine Fisheries – Deep Sea Fishing Operations" – saving of Rs.6336.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13480.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from most of the grantee Institutions owing to non-fulfillment of required conditions and economy measures.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4329.05 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2010 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - '' अन्य व्यय - फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के निदेशालय का सुदृढ़ीकरण'' - 2070.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2069.00 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष '' 2408'' - ''खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम'' - 2259.05 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2258.05 लाख रु. था।

(I) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - मछली पालन - समुद्री मछली पालन - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना - खाद्य प्रसंस्करण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता'' - 140.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.4329.05 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs in March, 2010 under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" – "Other Expenditure –Strengthening of Directorate of Fruit and Vegetable Processing" – Rs.2070.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2069.00 lakhs.

(B) Major Head "2408" – "Food – Food Processing - Horticulture Based Industries - Scheme for Technology upgradation, Establishment, Modernization of Food Processing Industries" – Rs.2259.05 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2258.05 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Fisheries – Marine Fisheries - Deep Sea Fishing Operations - Assistance for setting up of Infrastructural Facilities for Food Processing" – excess of Rs.140.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	200.00	..	..	..
पु.	R.	–200.00			

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान एक मामले में "खाद्य - खाद्य प्रसंस्करण - बागवानी आधारित उद्योग - राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना" के अंतर्गत स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under "Food - Food Processing - Horticulture Based Industries- Setting up of National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management" – due to non-implementation of the scheme in North Eastern Region.